संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/स्थापना नर्सिंग/......../2020/586 नवा रायपुर, दिनांक 14/08/2020

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार **जिला स्तरीय** ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"/बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम. के रिक्त (बैकलॉग सहित) पदों पर सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा पद पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑन–लाईन आवेदन **दिनांक 18.08.2020 से दिनांक 01.09.2020 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे** तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:–

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	जिला	सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा के रिक्त पद												
				रिक्त पद	कुल रिक्तियाँ वर्गवार				कुल रिक्तियों में भू.पू.सै. वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार			
					अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"/बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम.	5200-20200 ग्रेड वेतन 2200 (लेवल –05)	तृतीय	गरियाबंद	19	11	5	3	0	3	0	1	0	5	0	2	0
			बेमेतरा	27	18	5	1	3	8	2	0	1	6	0	0	1
			मुंगेली	24	12	6	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0
			कोरबा	43	15	4	18	6	1	0	2	0	0	1	1	1
			रायगढ़	21	10	2	7	2	5	1	3	1	0	0	1	0
			कोण्डगॉव	11	1	1	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0
			सुकमा	61	0	1	59	1	0	0	10	0	0	0	6	0
			बलरामपुर	32	12	3	12	5	1	0	0	0	2	0	6	0
			सूरजपुर	15	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0
योगः–				**253**	**86**	**27**	**117**	**23**	**19**	**4**	**17**	**2**	**14**	**1**	**18**	**2**

नोट :–

1. **शैक्षणिक योग्यता** – (1) उच्चतर माध्यमिक (10+02) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिये।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"/बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम. के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** – आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।

Scanned with CamScanner

3.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. उक्त पद हेतु केवल **OL** (एक पैर) एवं **OA** (एक हाथ) दिव्यांग ही पात्र होगें।

5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30.05.2019 में संलग्न अधिसूचना दिनांक 28.05.2019 में **उल्लेखित प्रावधानानुसार बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रिक्त पद हेतु आवेदन किए जाने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसी प्रकार कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे।** शेष जिलों में आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त निवासी पात्र होंगे।

6. अभ्यार्थी केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकेंगे, अभ्यार्थी जिस जिले हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी जिले हेतु पात्र माने जायेंगे। **एक से अधिक जिलों में आवेदन किए जाने पर अभ्यार्थी के समस्त आवेदन निरस्त/अमान्य किया जा सकता है।**

7. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

सापान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश

1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।
2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये (1) उच्चतर माध्यमिक (10+02) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिये।
3. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"/बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम. के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
4. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।
6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। **इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30.05.2019 में संलग्न अधिसूचना दिनांक 28.05.2019 में **उल्लेखित प्रावधानानुसार बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रिक्त पद हेतु आवेदन किए जाने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसी प्रकार कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे।** शेष जिलों में आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त निवासी पात्र होंगे।
8. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** – आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।
   - 8.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
   - 8.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
10. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त **OL** (एक पैर) एवं **OA** (एक हाथ) दिव्यांग ही पात्र होंगे। मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. अनु.जाति. अनु.जनजाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। **जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
12. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। **भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
13. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"/बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला/ए.एन.एम. के नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। **उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
15. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. शासकीय सेवा में कार्यरत रहे अभ्यार्थियों द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑन–लाईन आवेदन के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उस जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तद्उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें। प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
18. प्रतीक्षा सूची जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।
19. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।
20. आवेदन करने के पूर्व विस्तृत जानकारी जिलेवार एवं संवर्गवार पद की स्थिति अवश्य देख लेंवे। जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस जिले में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें अन्यथा आवेदन न करें।
21. **चयन हेतु मापदण्ड** :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी –
    - 21.1 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 50 अंक प्रावधानित है।
    - 21.2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिषतों का 35 अंक प्रावधानित है।
    - 21.3 अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।
    - 21.4 **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।**

22. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची जिलेवार संवर्गवार जारी की जावेगी।
23. ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ठ किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

24. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

25. आवेदक द्वारा ऑन-लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी की स्वयं जांच कर ले एवं **आन-लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन-लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। (आवेदक अपना ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण रूप से भर लेवें, उसके पश्चात् भरे गये फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेवे, उक्त फार्म को स्वहस्ताक्षरित कर स्कैन करते हुए ऑन-लाईन आवेदन के साथ संलग्न कर अपलोड करेगें। अपलोड करने उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।)**

26. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे, आवेदक द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में चाही गयी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे एवं चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करे, **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**

27. आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापनों में दिए गए नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही आवेदन भरे, भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र-अपात्र की सुची, मेरिट सुची एवं भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारी केवल विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दी जावेगी।

28. **विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन :-** इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

क्रमांक / 03 / नर्सिंग स्था. / ..... / 2020 / 589 अटल नगर, दिनांक 14 / 08 / 2020

प्रति,

संचालक,
विज्ञान एवं सूचना अधिकारी,
एन.आई.सी. छत्तीसगढ़।

विषय :— संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत रिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" / बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला / ए.एन.एम. के पदों (बैकलॉग पद सहित) पर सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा पद पूर्ति हेतु विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किए जाने के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ—160 / 2020 / 17—एक नवा रायपुर, दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से राज्य में कोविड—19 से संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" / बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला / ए.एन.एम. के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त हुई है।

अतः ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" / बहुद्देशीय कार्यकर्ता महिला / ए.एन.एम. के रिक्त पदों पर ऑन—लाईन के माध्यम से सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा किया जाना है, जिस हेतु विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :— विज्ञापन प्रारूप।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / 03 / नर्सिंग स्था. / ..... / 2020 / 590 अटल नगर, दिनांक 14 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ स्थानीय कार्यालय।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रायपुर संभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संभाग रायपुर छ.ग.।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner